

अनुभूत का-1

- (i) जल संचयन/सुरक्षा के विभाग की स्वीकृत व्यवस्था नहीं करनी है।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजस्वीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- (iii) जल विभाग कार्य प्रारंभ करते ही आवश्यक विवरण का भुगतान करेगा।
- (iv) स्वीकृत बंधों के निवृत्त विवरण प्राप्त होने पर स्वीकृत विवरण ही लागू करनी है।

एकल खिड़की केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर


आवेदन क्रमांक 37 दिनांक 10/4/2019

प्रार्थी श्री कमल प्रकाश ठाकुर डी० श्री श्रीहनलाल जी ७ श्रीमती लता ६
 ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P.No 48 सेक्टर डी मसुरिया सेक्टर

धवन निर्माण के लिए आवश्यकताओं में पेश
 कर स्थानांतरण राशि ₹ 236661/- रुपये जमा

जरिये रसीद संख्या 1965/19609, 9610
 दिनांक 10/4/2019 को जमा करा दी है।

यशवन्त
 प्रारूपकार
 जल विभाग, जोधपुर


982202446